RESEARCH PAPER | Political Science | Volume : 3 | Issue : 7 | July 2013 | ISSN - 2249-555X

सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान
Social Justice and Indian Constitution

KEYWORDS: सामाजिक न्याय,संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न, समाजवादी,पंथनिरपेक्ष,लोकतंत्र,गणराज्य,

Dr-Surya Bhan Singh

Assistant Professor & Co-ordinator Deptt- of Political Science, Uttarakhand Open University, Haldwani ,Nainital (263139)

ABSTRACT किसी भी सभ्य कहे जाने वाले समाज में मानव को विशेषाधिकार रहित ऐसे अवसर होना चाहिए,जो न केवल उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है वरन सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है।परन्तु परंपरागत भारतीय समाज में पदसोपान पाया जाता रहा है,जिसका आधार उच्चता और निम्नता रहा है ।जो पवित्र और अपवित्र के कठोर सिद्धांत से संचालित होता रहा है।

प्रस्तुत शोधपत्र में भारतीय संविधान में प्रावधान किये गए उन पक्षों का अध्ययन किया गया है जिसके द्वारा भारतीय समाज की सामाजिक निर्याग्यता से संबंधित प्रचलित कुरीती को समाप्त करने के लिए संस्थात्मक आधार प्रदान किया है ।जिससे न्यायसंगत समाज की स्थापना के लक्ष्य की ओर भारतीय समाज निरंतर अग्रसर है ।

प्रस्तावना –लंबे संघर्ष के पश्चात हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई। उन सपनों के साथ जो आजादी के सिपाहियों ने देखे थे।वे सपने थे एक ऐसे सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को अवसर प्रदान करना,जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीते हुए ,अपने व्यक्तित्व के विकास का पूरा अवसर प्राप्त हो सके ।इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान के द्वारा एक ऐसा संस्थागत ढॉचा तैयार किया गया,जिससे उन सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर न्यायसंगत समाज की स्थापना की जा सके ।जिसका स्पष्ट प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए न्याय की स्थापना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है ।न्याय में सामाजिक न्याय को प्राथमिक स्थान दिया गया है ।

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय –इस विषय का अध्ययन करने के लिए संविधान में उक्त विषय से संबंधित उपबंधों का अध्ययन आवश्यक हैं जो इस प्रकार हैं –

भारतीय संविधान की प्रस्तावनाः
हम भारत के लोग ,भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा
उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रति÷ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राश्ट्र की एकता
और अखण्डता सुनिष्चित करने वाली बंधुता
बढाने के लिए,
दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 .....
.....को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

इस लक्ष्य को संविधान सभा में स्पष्ट करते हुए ''पं. जवाहरलाल नेहरु'' ने कहा था कि. ..''इस सभा का प्रथम कार्य एक नये संविधान के माध्यम से भारत को स्वतंत्र करना,भूखी जनता को रोटी एवं नगे लोगो को कपडा उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक भारतीय को उसके क्षमता के अनुरुप अपना विकास करने के पूर्ण अवसर प्रदान करना है ।''

इस लिए संविधान निर्माता अपने इस उद्देष्य की प्राप्ति के लिए एक ऐसे षासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे।जो जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करे।जिसके लिए संसदीय षासन की स्थापना का प्रावधान किया।क्योंकि इस षासन में ही भारत की सामा. जिक सांस्कृतिक संरचना में बहुलता को षासन में भागीदारी मिलना संभव था।इसी के साथ संविधान में उन पक्षों को भी संस्थात्मक स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया गया जिससे परम्परागत भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक और आर्थिक निर्योग्यताओं को समाप्त किया जा सके, जिससे समाज के सभी समुदायों को खासकर अभी तक हासिये पर रहने वाले समुदायों के सदस्यों को भी समानतापूर्वक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो सके ।इसी उद्देष्य की प्राप्ति के लिए भारत में संघात्मक षासन का भी प्रावधान किया गया है।जैसाकि ऊपर हम स्पश्ट कर चुके हैं कि हमारे देष में सामाजिक सांस्कृतिक बहुलता का साथ साथ भौगोलिक संरचना में भी विविधता पाई जाती है।. इसलिए उन विविधताओं को समेटे हुए अलग अलग प्रकृति की सामाजिक और आर्थिक मांगें हो सकती हैं जिनकी पूर्ती और स्वतंत्रतापूर्वक सही समाधान स्थानीय स्तर पर ही करने के लिए संघात्मक षासन का भी प्रावधान किया गया है क्योंकि इस षासन में ही विविधता को खोए विना उन्हें एक सूत्र में पिरोने की क्षमता होती है।

अब सबसे पहले न्याय षब्द के अर्थ को जानना आवष्यक है।षब्दों के जाल में उलझे विना यदि देखें तो हम कह सकते हैं कि न्याय वह स्थिति है जिसमें समाज के किसी हिस्से को कोई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषेशाधिकार न हो साथ ही सामान रूप से सभी को विना किसी भेदभाव के समाज में जीने का हक हो और आजीविका के उपार्जन में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो।साथ ही अभी तक परम्परागत भारतीय समाज में हासिये पर रहने वाले समुदायों को भी समान रूप से सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो सके।

न्याय की इसी उद्देष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान के उन पक्षों का भी अवलोकन करना नितांत आवष्यक है जहां इनसे सम्बंधित प्रावधान किए गए हैं जो इस प्रकार हैं–

सर्व्प्रथम हम देखेंगे कि किस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना में सामजिक आर्थिक न्याय की स्थापना को लक्ष्य घोशित किया गया है।

इसके समर्थन में मूल अधिकार और राज्य नीति निदेषक तत्वों के अध्याय में भी विस्तृत रूप से प्रावधान किये गए हैं।भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को मानव होने के नाते कुछ अदिकार प्रदान किये गए है जिनका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के दबाव से मुक्त होकर करता है।

संविधान का भाग 3 : अनुच्छेद 14 के द्वारा सभी को कानून के समक्ष समान और सामान रूप से सभी को कानूनी संरक्षण का प्रावधान कर परंपरागत रूप से भारतीय समाज में प्रचलित विषेशाधिकारों का अंत करने का संस्थात्मक प्रयास किया गया है।इसी के पूरक के रूप में निदेषक तत्व के अध्याय में समाज के कमजोर वर्ग को निःषुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद15 में किया गया है कि धर्म, मूलवंष, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निशेध किया गया है। इसके उपभागों में यह भी प्रावधान है कि किसी को सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं मंदिर तालाबों आदि के उपयोग में उक्त किसी भी विभेद को लागू नहीं किया जा सकता है।ये प्रावधान तो परम्परागत भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक निर्योग्यताओं को समाप्त करने में मील का पत्थर सावित हो रहे हैं।

अनुच्छेद17 में स्पश्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि अष्पृष्यता का अंत किया जाता है इसका किसी भी रूप में आचरण या इसको किसी भी रूप में प्रोत्साहित करना दंडनीय अपराध है।इस अनुच्छेद के समर्थन में भारतीय संसद ने ''अष्पृष्यता निवारण अधिनियम 1955'' पारित किया जिसका संषोधन ''नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976''के रूप में किया गया है इस व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बनाया गया है जिसका प्रचलित नाम हरिजन एक्ट है।

इसी प्रकार अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव से बलपूर्वक उसकी इच्छा के विपरीत काम लेने और उसके क्रय विक्रय के अंत का प्रावधान है और अनुच्छेद 24 के द्वारा 14 वर्श से कम आयु के बच्चे को खानों या अन्य किसी जोखिम भरे स्थान में नियोजं का निशेध किया गया है और साथ ही साथ 14 वर्श से कम आयु के बच्चों के निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा का प्रावधान करके सभी समुदायों को समान रूप से व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है ।

यहाँ यह स्पश्ट करना आवष्यक है कि यदि संविधान के द्वारा ये अधिकार एक स्वतन्त्र देष के नागरिक होने के नाते सभी को प्राप्त होते हैं तो यह संभव था कि अभी तक विषेशाधिकारयुक्त समुदाय इनको व्यावहारिक धरातल पर उतरने ही न देते इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकार के रूप में एक अन्य अधिकार का उपबंध भी

Volume : 3 | Issue : 7 | July 2013 | ISSN - 2249-555X

किया गया है, जिसे डॉ भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया है कि मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर प्रत्येक भारतीय का यह मूलअधिकार है कि वह अपने मूल अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायलय जाया जा सकता है। तथा अनुच्छेद 126 के तहत उच्च न्यायलय जा सकता है और अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर सकता है ।

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में स्पश्ट रूप से ऐसे प्रावधान किये गए है।जिससे भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, क्योकि यहाँ पर किसी भी धर्म को राज धर्म नहीं घोशित किया गया है संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 के द्वारा सभी को अन्तःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और अनुच्छेद 26 के द्वारा सभी को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार प्रदान किया गया है ।इसी प्रकार अनुच्छेद 27 के द्वारा धार्मिक प्रयोजन से किये जाने वाले व्यय को कर से छूट प्रदान की गई है। तथा अनुच्छेद 29 और 30 के द्वारा सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाशा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है साथ ही अपनी रुचि की षिक्षण संस्थाओं की स्थापना का भी अधिकार प्रदान किया गया है।

इन प्रावधानों के होने के बावजूद मूल संविधान में पंथनिरपेक्ष षब्द का प्रावधान नहीं किया गया था। इसी लिये और अधिक स्पश्टता के लिए 42वें संवैधानिक संषोधन के द्व ारा प्रस्तावना में 'पंथनिरपेक्ष' षब्द का प्रावधान किया गया है।जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ,व्यक्ति या राज्य धर्म के आधार पर भेद भाव न कर सके। इस प्रकार से संविधान के विविध उपबन्धों के द्वारा न्यायसंगत समाज की स्थापना के लिए संरचनात्मक आधार प्रदान किया गया है। जिनका उपयोग कर भारत में लोगों को समानता के साथ जीने का अवसर प्राप्त हो रहा है ।

निश्कर्श – उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हमने यह पाया है कि परंपरागत भारतीय समाज में पवित्र अपवित्र के आधार पर बहुत से समुदायों को अनेकानेक सामाजिक निर्योग्यताओं का षिकार होना पड़ता था। इस लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण की लंबी प्रक्रिया में उन मूल्यों और आदर्षों को संविधान में षामिल किया जिससे भारतीय समाज से इन तर्कहीन सामाजिक निर्योग्यताओं को समाप्त किया जा सके जिससे अभी तक समाज की मुख्य धारा में षामिल होने से वंचित समुदायों को भी यह अवसर प्राप्त हो सके जिससे वे भी अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें। और वे भी गरिमामई जीवन जी सके ।इस उद्देष्य की प्राप्ति में संविधान द्वारा प्रदान किये गए संस्थागत आधारों और लोकतंत्र के परिचालन से भारतीय समाज, सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति की दिषा में निरंतर प्रगतिषील है ।

REFERENCE ब्रज किषोर षर्मा–भारतीय संविधान, डी.डी.बासु–भारतीय संविधान एक परिचय,बेयर एक्ट–.भारतीय संविधान ,डॉ. आर.एन. त्रिवेदी डॉ.एम.पी राय–भारतीय सरकार एवं राजनीति ,डॉ. रूपा मंगलानी – भारतीय षासन एवं राजनीति ,डॉ. प्रभुदत्त षर्मा – भारतीय प्रषासन,
ए.एस नारंग – भारतीय षासन एवं राजनीति,श्रण्ब्श्रंनींतप दृजीम ब्वदेजपजनजपवद वप्दिकपं